

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०

Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.

वीरचन्द पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001

दूरभाष / Phone : - +91-612-2222622 फ़ैक्स नं० / Fax No: - 0612-2506218

CIN: U63040BR1980SGC001486, Web: www.bstdc.bihar.gov.in E-mail: contactbstdc@gmail.com



सं०सं०-02/42/वि०/स्था०/14-15/पार्ट-3/3756/24

दिनांक 23/12/2024

विज्ञप्ति

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन निम्न पदों पर राज्य सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन :-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2804 दिनांक-29.03.10 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 के प्रावधानों के आलोक में बिहार सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत्त इच्छुक कर्मियों से विहित प्रपत्र में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	धारित योग्यता
1	कनीय अभियंता (असैनिक)	01	बिहार सरकार के कार्यालय से कनीय अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत्त अभियंता।
2	लेखा सहायक/सहायक	02	बिहार सरकार के कार्यालय से सेवानिवृत्त लेखा सहायक/सहायक।

संविदा पर चयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि तक 63 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा संविदा पर रहने की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी जो आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा।

प नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अन्तिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मँहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मँहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद अवशेष राशि होगा।

2. सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने के स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

3. नियोजन हेतु सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के सम्बन्ध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

4. नियोजित कर्मियों के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी, कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा नियोजन रद्द की जा सकेगी।

5. नियोजन में निकट के वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मियों को प्राथमिकता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

6. कनीय अभियंता के नियोजन हेतु कम से कम 05 वर्षों तक भवन निर्माण के क्षेत्र में कार्य की प्राथमिकता दी जायेगी।

7. निम्नांकित कर्मियों की सेवाएं नहीं ली जायेगी :-

(क) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा है।

(ख) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है।

(ग) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।


(घ) जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो।

(नोट :- क्रमांक "क" से "घ" तक के संबंध में शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा)

8. सेवानिवृत्त इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में दिनांक-23.01.2025 के अपराह्न 05:00 बजे तक निगम के कार्यालय-गुरुनानक भवन, सिख हेरिटेज दरोगा राय पथ,पटना-800001 के प्रथम तल पर पत्र आगत निर्गत शाखा में अपना आवेदन निबंधित/हाथों-हाथ समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् डाक सेवा या हाथों-हाथ प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. आवेदन हेतु नियमावली और विहित प्रपत्र निगम के वेबसाईट-www.bstdc.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
10. इस संबंध में किसी भी तरह की सूचना हेतु श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियंता, मोबाईल नं. 9801591431 बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना से संपर्क किया जा सकता है।
11. आवेदन के साथ पी०पी०ओ० (यदि निर्गत हो) अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सेवापुस्त की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
12. आवेदन हेतु विहित प्रपत्र website-www.bstdc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
13. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

ह०/—
महाप्रबंधक
बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन लि०, पटना।

विहित प्रपत्र



1. आवेदक का नाम
2. पद का नाम
(जिस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं।)
3. विभाग/कार्यालय का नाम
(जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं)
4. जन्म तिथि
5. सेवानिवृत्ति की तिथि
6. अंतिम प्राप्त वेतन (यदि कोई हो)
- I. वेतनमान
- II. मूल वेतन
- III. ग्रेड पे/Level
7. सेवानिवृत्ति को धारित पद एवं उक्त पद का कार्यानुभव
8. पेंशन स्वीकृति की स्थिति
- a) पी.पी.ओ. न.
- b) स्वीकृत
- c) स्वीकृत नहीं
- d) औपबधिक स्वीकृत
(सही का निशान लगावें तथा आदेश की प्रति संलग्न करें)
9. पेंशन की स्वीकृत राशि
10. पेंशन+महँगाई सहित आदि (कुल जोड़कर)
11. सेवानिवृत्ति की तिथि या पूर्व में
आरोप/विभागीय कार्यवाही की स्थिति
12. आरोप के निष्पादन की स्थिति/अधिरोपित दण्ड का विवरण
(आरोप नहीं रहने के संबंध में शपथ पत्र (Notary) देना अनिवार्य है)
13. आरक्षण कोटि
(1) अनुसूचित जाति (2) अनुसूचित जनजाति
(3) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (4) पिछड़ा वर्ग (5) पिछड़ा वर्ग (महिला)
(6) सामान्य (सही का निशान लगावें)
14. वर्तमान पता (मोबाईल नं. एवं ई-मेल आई.डी. के साथ)
15. स्थायी पता
1. आवेदक द्वारा समर्पित सभी अभिलेख स्वयं अभिप्रमाणित
होना आवश्यक है।
2. घोषणा पत्र
एतद द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी
उम्मीदवारी संविदा नियोजन रद्द किया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर